

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

2025/52

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-728 प्रार्थना-पत्र	34/25	21/2/25		21/2/25 3/3/25
<p>AMTS</p> <p>3/3/25</p>				

अनवान

श्री रामलाल पुत्र गगनराम

श्री नन्दकिशोर पत्नी लक्ष्मीकाण्ठ

निवासी लतकुडीया

निवासी रेवन्दा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रतन सिंह

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

जज अदीलत उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियां, भीलवाड़ा
 नाम रामरतन काना वानसरा
 फेरम नुक्रमा 111-128 प्रकरण संख्या 34 सन 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
21/2-2025	<p>प्रार्थना-पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीयों को भेजी जाये। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27/2/2025 को वास्तो तलबी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">3/ उपखण्ड अधिकारी विजौलियां</p>	
27/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता नदी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. पीरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/2/25 को वास्तो तलबी पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>	
03/03/25	<p>पत्रावली पेश हुई समस्त विपक्षीयों की नार तारीख प्राप्त हुई, बिले शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीयों के उन्तर भावज लार्ज गर्ड, पस्तु कौर्ड उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीयों के विरुद्ध एड पक्षीय मोहेरा चारिद किल गला पत्रावली में मोहेरा चारिद किल गला पत्रावली में फेस्टल शुमार होमर, उम्नर हो कम् होउर दाखिल क्लर हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 34/25

तारीख दायर 21/02/25

- 1- रामरतन पुत्र नानुराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुडीया तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- श्रीकिशन पुत्र नानुराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुडीया तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

- नन्द कंवर पत्नि लक्ष्मीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- गोपाल पुत्र चतरा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुडीया तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- राधेश्याम पुत्र विजय जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- मु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियों तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक :- 03/03/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री रामरतन, श्रीकिशन ने जरिये अभिभाषक रतन सिंह प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे कल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम सतकुडिया पटवार क्षेत्र रेसुन्दा मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां हसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 132 आराजी नंबर 287, 288, 292, 293 कुल किता 4 रकबा 2302 हैक्टेयर भूमि खातेदार रामरतन, श्रीकिशन पुत्र नानुराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुडीया तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम पर सामलाती गैर खातेदारी स्थित है। पक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगडी का आदेश प्रदान कराया जावे थ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काशतकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगडी से किसी के स्वात्व पर ई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

i: प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम सतकुडिया पटवार क्षेत्र रेसुन्दा मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 132 आराजी नंबर 287, 288, 292, 293 कुल किता 4 रकबा 1.2302 हैक्टेयर भूमि खातेदार रामरतन, श्रीकिशन पुत्र नानुराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुडीया तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम पर सामलाती गैर खातेदारी की बशामालात पडोसियान के पत्थरगडी करने हेतु आदेशित या जाता है एवं पत्थरगडी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

देश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों